चोरी के ट्रैक्टर के साथ एक गिरफ्तार

श्रावस्ती 18 जून (मि0टा0सं0)। प्रभारी निरीक्षक थाना सिरसिया गौरव सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चोरी के ट्रैक्टर के साथ माघवेन्द्र प्रताप उर्फ बाबू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि0 कोयलहवा थाना सिरसिया श्रावस्ती को गिरफ्तार कर थाना सिरसिया पर मु0अ0स0–165/2024 धारा 411 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया। उ0नि0 वीपेन्द्र कुमार यादव मय पुलिस टीम को संदिग्ध व्यक्तियों वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा जोखवा बाजार में चोरी के ट्रैक्टर के संबंध में सूचना मिली, जिसके आधार पर जोखवा बाजार राप्ती मुख्य नहर पुल से 1 अभियुक्त माघवेन्द्र प्रताप उर्फ बाबू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि0 कोयलहवा थाना सिरसिया श्रावस्ती को चोरी के ट्रैक्टर स्वराज 735 FEC वाहन सं0–UP40AW4336 के साथ गिरफ्तार कर थाना सिरसिया पर मु0अ0स0–165/2024 धारा 411 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया। पूछताछ की गयी तो अभियुक्त माघवेन्द्र प्रताप उर्फ बाबू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि0 कोयलहवा थाना सिरसिया श्रावस्ती ने बताया कि यह ट्रैक्टर मैंने 08 माह पूर्व 1. छम्मी उर्फ राजू पुत्र छब्बन नि0 मथुरा बाजार थाना ललिया जनपद बलरामपुर 2. मेराज पुत्र इदरीश नि0 विजयपुर केसरगंज थाना केसरगंज जनपद बहराइच से 60 हजार में खरीदा था जो वर्तमान समय में जेल में है। थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच से सम्पर्क किया गया तो पता चला कि बरामद ट्रैक्टर स्वराज 735 FEC वाहन सं0–UP40AW4336 के चोरी का मुकदमा मु0अ0सं0–313/23 धारा 379 भादवि में अभियोग पंजीकृत है।